□□□□ □□□□□

□□□ □त्र□□□

(□□□□, **योग व प्राकृतिक चिकित्सा**, □□□□□, **सिद्ध एवं होम्यो**□□)

□□□ □□□

अतारांकित प्रश्न सं. 3361

12 □□□□, 2019 **को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

ग्र□□□ **क्षेत्रों** □ □□□□ □□□□□ **□f**□□□

3361. **श्री** □□□□□ि **f**□□:

श्री □□. □□. □□□ि□:

श्री □f□ **f**□□□:

क□□ □□□□□, □□□ □□ **प्राकृतिक f**□**f**□**ट**□□, □□□□□, **सिद्ध** □□ □□**म**□□□□□ (□□□□) □त्री □□ □□□□□□ि □□□ □□□□f□:

(□) क□□ □□□ □ f□□□ रू□ □□ग्र□□□ क्षेत्रों □ □□□□ □□□□ □□□□□ □f□□□□□□□□ब□ □;

(□) □f□ □□□□□ □ट□□□□ ब□□□ क□□ □□f□□□□□□□ □□f □□□□□□□ □□ □□□□□f□□ f□□□□ f□f□ □□□ब□ □□□□ □□ □□□□ □f□ □□□□□□ □□□□□क□□ □□□□ □;

(□) □□क्षेत्रों □ □□ □f□□□□□□□ □□□□□□□□f□□ □□□□□ द□□□□ क□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□क्षेत्रों □ □□□ □ख□□ □ आयुर्वदिक □स□□□□ □□□□□□□□f□□ क□□ □□□-□□□ निर्धारि□ □ि □□ □;

(□) क□□ □□□□□ □□ □□□□□□ f□f□ट□□ □द्वा□ □□ □□□□□ □□□□□ f□□□□ □क्योंकि □□ □ □□□□ □म□□ □□□□ि □ प्र□□□□ □□□□ल्ले□ □□□□□□ □ि □□□□ □ □□□ □स□□ □□□□ □f□ □□□□□ □ट□□□□ ब□□□□ क□□ □□; □□

(□) क□□ □□□□□ □□ग्र□□□ क्षेत्रों □ □□□f□□ □□ □□म□□f□□ □□क□ि □ि □□□ब□□□ □□ □□□□□□□f□□ □□□ प्र□□□□ प्र□□□ f□□□ □□f□□□ रू□ □□ग्र□□□ क्षेत्रों □ f□f□ट□□ □f□□□□□□ि □□□ □□ □□□□□□ □□ □f□ □□□□□ □ट□□□□ ब□□□□ क□□ □□?

<u>□ट□□</u>

<u>□□□□ □□ज□ □त्री (स□तंत्र प्रभार) (श्री श्रीपाद येसो नाईक)</u>

(□) □□(□): □□ स□स्थ्य □□ज□ □□ f□□□ □, इसलिए आयुष उपचार सुविधाएं मुहैया कराने की प्रमुख □□म□दारी संबंधित राज्य/□□ □□ज□ क्षेत्र सरकारों की है। तथापि, राष्ट्रीय आयुष मिशन की केंद्रीय प्रायोजित स□ि□ □□□□□□ 50 बिस्त□ □□ □□□□ि□□ □□□ □स□□□ि □ि स□□□□□, □□□□त्र □□□□□ि □□□ □स□तालों और औषधालयों का उन्न□□, आयुर्वेद और होम्योपैथी सहित आयुष उपचार सुविधाओं के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में आयुष सुविधाओं की सह-स□□□□□ के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान है। राज्य/□□ □□ज□ क्षेत्र सरकारों से प्राप्त प्रस□□□ □□□□□□□ □□□□□ के विभिन्न क्रियाकलापों के लिए वर्ष 2016-17, 2017-18 □□ 2018-19 □□□□□□□ क्र□□: 417.11 □□□□ रू□□, 489.07 करोड़ रूपये और 456.49 करोड़ रूपये की अनुदान सहायता जारी की गई है।

(□) □□ (□.): राष्ट्री□ □□□ मि□शन म अन्य □□□ं □□□□□-□□□ □□□□□ मि□मि□त□□ □द्धि□□ं □□मि□□□ □□ □□□□ □□मि□□ निम्नलिखित प्रावधान किए गए ह:

i. प्र□मि□□ स□□स्थ्य कद्रों (पीएचसी), □□□□मि□□ स□□स्थ्य कद्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों म आयुष सुविधाओं का सहस्था□□□

ii. एक मात्र राज्य □□□□□ □□□□□ □स□तालों और औषधालयों का उन्नय□□

iii. 50 बिस्त□ □□ □□□□ि□□ □□□ □स□□□□ं □ि स□□□□□□

iv. □□ज□ □□□□□ □□स□□□□□□□ □□ स□□□□□त□र शैक्षणिक संस्थानों का उन्न□□□

v. □□ □□ज□ं म राज्य □□□□□ □□□□□ □□□ मि□क्ष□ □स□□□ं का स्था□□□, जहां ये सरकारी क्षेत्र म □□□□ब□ नहीं ह।

vi. □□ज□ □□□□□/□□ज□ □□□□□ सहकारी समितियों/सावर्जनिक क्षेत्र उपक्रमों, □□□□, सिद्ध, □□□□□ □□ □□म्□□पैथी (एएसयूएंडएच) फार्मासियों को सुदृढ़ बनाना।

vii. □□□□□□□□□ □□□ं □□मि□□ □□ज□ औषध परिक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण।

viii. प्रसंस्करण और फसलोपरांत प्रबंधन सहित □□□□□ □□□□ं □ि □□□ □□मि□□ □□□□□□□

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य कद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य कद्रों (□□□□□) □□ □□□□ □स□तालों (डीएच) म आयुष सुविधाओं की सह-स□□पना की एक कायनीति को अपनाया है और इस प्रकार चिकित्सा की विभिन्न पद्धतियों के लिए रोगियों को विकल्प मि□□ □□□□ □□ □□□ □□क्□रों/चिकित्सा सहयोगियों की नियुक्ति और उनके प्रशिक्षण के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्या□ □त्रा□□ द्वारा सहायता प्रदान की जाती है जबकि आयुष अवसंरचना, □□स□र/फर्नीचर और औषधियों हेतु सहायता राष्ट्रीय आयुष मिशन की कद्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतगत आयुष मंत्रालय द्वारा मुहैया की जाती है।

*****